

[राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ— [1] इन नियमों का नाम राज स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 है।

[2] ये ऐसी तारीख से, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ— जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में—

[क] 'सहायता' से राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था को मंजूर की गई कोई सहायता अभिप्रेत है;

[ख] 'नियुक्ति प्राधिकारी' से, इन नियमों के अधीन विभिन्न पदों के सम्बन्ध में, अनुसूची के स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट विभिन्न पदों, जिनसे नियुक्ति की जाती है, के लिए निम्नलिखित सेवा नियमों के अधीन विहित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है:

(i) राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970;

(ii) राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971;

(iii) राजस्थान शिक्षा सेवा [महाविद्यालय शाखा] नियम 1986;

(iv) राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा [महाविद्यालय शाखा] नियम 1979;

(v) राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977;

(vi) राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978;

(vii) राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999;

(viii) राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम, 1999;

(ix) राजस्थान तकनीकी शिक्षा [अभियांत्रिकी] सेवा नियम, 2010

(x) राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973;

[ग] 'बोर्ड' से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अभिप्रेत है और इसमें कार्डिनल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सम्मिलित है;

[च] 'आयोग' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

[ङ] 'सम्बन्धित प्राधिकारी' से खण्ड 2 [च] में यथा परिभाषित शिक्षा निदेशक और विद्यालय शिक्षा के मामले में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी अभिप्रेत है;

[च] 'शिक्षा निदेशक' से,—

(i) स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों तथा संस्कृत और तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से भिन्न समान या उच्च अध्ययन की शैक्षिक संस्थाओं के मामले में आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है

(ii) संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;

(iii) तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में निदेशक, तकनीकी शिक्षा राजस्थान अभिप्रेत है; और

(iv) उपर्युक्त उप-खण्ड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट से भिन्न विद्यालयों और संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान या, यथास्थिति, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;

[छ] 'कर्मचारी' से वह कर्मचारी अभिप्रेत है, जो किसी मान्यता प्राप्त, गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में कार्यरत है और जो सहायता प्राप्त और स्वीकृत पद के प्रति कार्यरत है;

[ज] 'सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

[झ] 'संस्था' में किसी शैक्षिक संस्था से सम्बन्धित समस्त जंगम और स्वातंत्र सम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं;

[ञ] 'संयुक्त निदेशक' या, 'उप निदेशक' में संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक के कृत्यों के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सम्मिलित है;

[ट] 'गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था' से, राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र, डिग्री, डिप्लोमा या कोई विद्या सम्बन्धी उपाधि प्राप्त करने के लिए शिक्षा देने या छात्रों को तैयार या प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित और चलाया जा रहा या राज्य में लोगों के शैक्षिक, सांस्कृतिक या शारीरिक विकास के लिए कार्यशील, किसी भी नाम से नामनिर्दिष्ट कोई महाविद्यालय, विद्यालय, प्रशिक्षण संस्था या कोई अन्य संस्था अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकारी या राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकारी के न तो स्वामित्वाधीन न ही प्रबन्धनाधीन हो और जो राज्य सरकार से अनुसूचित अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही हो;

[ठ] 'मान्यता प्राप्त संस्था' से किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्ध या बोर्ड, शिक्षा निदेशक या इस निमित्त राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;

[ड] 'ग्रामीण क्षेत्र' से निम्नलिखित को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान राज्य अभिप्रेत है:

(i) कोई ऐसा क्षेत्र जिसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 [2009 का अधिनियम सं. 18] के अधीन किसी नगर पालिका का गठन किया गया है या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 [1959 का अधिनियम सं. 35] के अधीन गठित किसी नगर सुधार न्यास का गठन किया गया है या जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 [1982 का अधिनियम सं. 25] या जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 [2009 का अधिनियम सं. 2] के अधीन किसी प्राधिकरण का गठन किया गया है या सुसंगत अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार किये गये किसी शहर या नगर के मास्टर प्लान या मास्टर विकास प्लान में यथा उपदर्शित नगर योग्य सीमाएँ, और जहाँ कोई मास्टर प्लान या मास्टर विकास प्लान नहीं है वहाँ, क्षेत्र को नगरपालिका सीमाएँ

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार किये गये किसी शहर या नगर के मास्टर प्लान या मास्टर विकास प्लान में यथा उपदर्शित उपांत पट्टी और जहाँ कोई मास्टर प्लान या मास्टर विकास प्लान नहीं है या जहाँ ऐसे प्लान से उपांत पट्टी उपदर्शित नहीं है वहाँ यह क्षेत्र जो राज्य

सरकार के नगरीय विकास विभाग/स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा समय-समय पर अधिभूत किया जाए।

[ग] 'वेतन' से किसी कर्मचारी को परिलब्धियों का, मईगाई भत्ता या उसे तत्समव संदेव किसी अन्य भत्ते या रहत सहित, योग अभिप्रेत है किन्तु इसमें प्रतिकरत्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है:

[त] 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है:

[थ] 'सेवा' से राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा अभिप्रेत है:

[द] 'रज्य' से राजस्थान रज्य अभिप्रेत है और

[ध] 'विश्वविद्यालय' से राजस्थान रज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

3. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या— [1] सेवा में अनुसूची के सप्तम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट पर होंगे।

[2] सेवा में पदों की संख्या जारी होगी जितनी कि सरकार समय-समय पर अधिभूत करे।

4. राजकीय सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया— [1] गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के ऐसे नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को स्वीकृत और सहायता प्राप्त पद के प्रति कार्यरत है और जो राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अधीन, इन नियमों में उल्लिखित निबन्धन और शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा करते हैं, इन नियमों के संचयन में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर सम्बन्धित संस्था के सचिव को, प्रारूप-1 में आवेदन, उसमें अपनी सेवा की विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को, एक अग्रिम प्रति के साथ, प्रस्तुत करेंगे।

[2] संस्था का सचिव, सेवा की विशिष्टियों के सत्यपन के पर्याप्त सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को, आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख से 10 दिन के भीतर कर्मचारी के सम्पूर्ण सेवा अभिलेख के साथ आवेदन अग्रेषित करेगा। संस्था का सचिव इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा कि कर्मचारियों द्वारा उल्लिखित सेवा की विशिष्टियाँ सही हैं।

[3] इन नियमों के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों की उपयुक्तता का न्यायनिर्णय निम्नलिखित से बनी, स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाएगा—

[क] आयोग के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाले पदों के मामले में—

- | | |
|--|------------|
| (i) आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशित | अध्यक्ष |
| (ii) प्रमुख शासन सचिव, कर्मिक विभाग या उसका नामनिर्देशित जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो | सदस्य |
| (iii) सम्बन्धित विभाग का प्रमुख शासन सचिव या उसका नामनिर्देशित जो शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो | सदस्य |
| (iv) सम्बन्धित विभाग का निदेशक | सदस्य सचिव |

[ख] आयोग के कार्य क्षेत्र के भीतर नहीं आने वाले पदों के मामले में—

- | | |
|--|------------|
| (i) सम्बन्धित विभाग का निदेशक या उसका नामनिर्देशित | अध्यक्ष |
| (ii) सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी | सदस्य सचिव |

[4] समिति, अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का न्यायनिर्णय करने के पर्याप्त सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को उपयुक्त अभ्यर्थी का/अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए अग्रेषित करेगी।

5. राजकीय सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निबन्धन और शर्तें— गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त ऐसे विद्यमान कर्मचारियों को, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को स्वीकृत सहायता प्राप्त पद के प्रति कार्यरत है, राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम के अधीन निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा अर्थात्—

(i) कर्मचारी के पास तत्समन्वयी पदों के लिए समान संवर्ग के सरकारी कर्मचारी पर लागू सुरक्षित सेवा नियमों के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक और वृत्तिक अहतां होनी चाहिए।

(ii) ऐसे पदों का जिन पर ऐसे कर्मचारियों की सरकार में नियुक्ति की जाएगी, कर्मचारियों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक भूत संवर्ग गठित होगा।

(iii) नियुक्त कर्मचारियों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में के महाविद्यालयों/या यथास्थिति विद्यालयों में अनुसूची के सप्तम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट समतुल्य पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। तथापि सरकार में ऐसा समतुल्य पद न होने के मामले में उन्हें सहायता प्राप्त पदों के समान वेतनमान वाले अन्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा :

[Provided that in case the post of Principal (RVRES), Lecturer (RVRES), PTI (RVRES) or Librarian (RVRES) is not available for appointment in rural area colleges, the Principal (RVRES), Lecturer (RVRES), PTI (RVRES) or Librarian (RVRES) may be posted in municipal area Colleges in the following priority order:-

1. College situated in the area of IVth category municipality;
2. College situated in the area of IIIrd category municipality;
3. College situated in the area of IInd category municipality;

and whenever post is available in any College of rural area the person so posted in the municipal area shall be transferred in the said Colleges of the rural area. Persons posted in the Colleges situated in municipal areas shall be transferred in rural area in the following order, namely -

- (i) firstly from the Colleges situated in the area of IInd category municipalities;
 - (ii) secondly from the Colleges situated in the area of IIIrd category municipalities;
- and
- (iii) thirdly from Colleges situated in the area of IVth category municipalities.]

[Provided further that in the case of non-teaching staff, screened for appointment on non-teaching posts in College Education Section and posts for posting in rural areas are not available, such person shall be appointed on any equivalent post in rural areas in any other department governed by these rules.

Such person shall be deemed to be appointed in the new department from the date of joining in the Directorate of College Education.]

(iv) इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी अधिभूतता को आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे। तथापि उन्हें सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर सम्पन्नता स्कोम का लाभ अनुभवतः किया

1. Not. No. F. 5(2) DOP/A-11/2010, G.S.R. 149, dated 13-12-2011—Raj. Gaz., Exty., Pt. 4(C)(i), dated 14-12-2011.

2. Not. No. F. 5(2) DOP/A-11/2010, G.S.R. 172, dated 1-2-2012 Raj. Gaz., Exty., Pt. 4(C)(ii), dated 3-2-2012.

जाएगा जैसा कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञात है। सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत और सहायता प्राप्त पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जाएगी।

(v) पद चाहे किसी भी कारण से यथा अधिर्वापता/स्वेच्छक सेवा/निवृत्ति/सेवा समाप्ति/सेवा में छूटे हुए मृत्यु/कर्मचारी के त्यागपत्र इत्यादि के कारण पदों के रिक्त होते ही स्वतः सम्पन्न हो जायेंगे।

(vi) नियुक्त किये गये समस्त कर्मचारियों का वेतन इन नियमों के अधीन उनको नियुक्ति के समय यथा आह्वित वेतन के आक्षर पर उनके सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से छूटे वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान सिविल सेवा [पुनरीक्षित वेतनमान] नियम, 1998, राजस्थान सिविल सेवा [राजकीय महाविद्यालय के अध्यापकों, जिनमें पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भी सम्मिलित हैं, के लिए पुनरीक्षित वेतनमान] नियम, 1999 और राजस्थान सिविल सेवा [राजकीय पॉलीटेक्निकों अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के लिए पुनरीक्षित वेतनमान] नियम, 2001 में वेतन, आह्वित कर रहे हैं, को इन नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात् सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से क्रमशः राजस्थान सिविल सेवा [पुनरीक्षित वेतनमान] नियम, 2008, राजस्थान सिविल सेवा [राजकीय महाविद्यालय के अध्यापकों जिनमें पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भी सम्मिलित हैं; के लिए पुनरीक्षित वेतनमान] नियम, 2009 और राजस्थान सिविल [राजकीय पॉलीटेक्निकों अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के लिए पुनरीक्षित वेतनमान] नियम, 2010 के लाभ के लिए अनुज्ञात किये जायेंगे।

(vii) इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् सरकार में उनके पद ग्रहण की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी मद से कोई भी भत्ता, चाहे वह कुछ भी हो [वेतन, चयन वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नति स्कीम के बक़ी का सम्मिलित करते हुए] संदत नहीं किये जायेंगे।

(viii) उपर्युक्त छुट्टी के अतिरिक्त अज्ञात करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। कर्मचारी सम्बन्धित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओं से उपर्युक्त छुट्टी के अतिरिक्त के नकदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

[(ix) The persons who are appointed in the government service under these rules shall be governed by the provision of the Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005 and the provision of the Rajasthan Civil Service (Pension) Rules, 1996 shall not be applicable to them. Contributory Provident Fund Contribution, if not deposited by the Non-Government Aided Educational Institutions for the period prior to the date of their joining in the government after appointment under these rules, shall not be paid by the State Government.]

(x) सहायता प्राप्त संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपदान के संदाय के लिए नहीं की जाएगी। कर्मचारी सम्बन्धित सहायता अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्था से उपदान का संदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(xi) प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रारूप-II में यह बचनबंध विध्यादित करना अपेक्षित होगा कि वह इन नियमों के अधीन विहित सेवा के समस्त विबन्धनों और शर्तों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है/करती है और सरकार को सेवा में अधिर्वापता की आज्ञा प्राप्त करने तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में सेवा करने के लिए सहमत है।

6. अन्य उपबन्धों का लागू होना— इन नियमों में यथा अन्यथा उपस्थित के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की अन्य सेवा शर्तें 1-1-2004 को या उसके पश्चात् सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को लागू विभिन्न नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

7. निर्वाचन और शंकाओं का निराकरण— इन नियमों के किसी भी उपबन्ध विषयक यदि कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार का विनिराज्य अन्तिम होगा।

अनुसूची				
क्र.सं.	पद का नाम जिस पर नियुक्त किया जाना है	वर्तमान वेतनमान	चालू वेतनमान ग्रेड वेतन	पर जिससे नियुक्त किया जाना है
1	2	3	4	5
ग्रुप-1 महाविद्यालय शिक्षा अनुभाग क-अध्यापन पद				
1.	प्राचार्य [आर.वी.आर.ई.एस.]	12000-18300	37400-67000 ग्रेड वेतन 10000	प्राचार्य
2.	प्राध्यापक [आर.वी.आर.ई.एस.]	8000-13500	15600-39100 ग्रेड वेतन 6000	प्राध्यापक
3.	शा.प्र.अनु. [आर.वी.आर.ई.एस.]	8000-13500	15600-39100 ग्रेड वेतन 6000	शा.प्र.अनु.
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष [आर.वी.आर.ई.एस.]	8000-13500	15600-39100 ग्रेड वेतन 6000	पुस्तकालयाध्यक्ष
ग्रुप-1 महाविद्यालय शिक्षा अनुभाग ख-गैर-अध्यापन पद				
1.	लेखाकार [आर.वी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3600	लेखाकार
2.	कनिष्ठ लेखाकार [आर.वी.आर.ई.एस.]	5000-8000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3200	कनिष्ठ लेखाकार
3.	वरिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	कनिष्ठ लिपिक
4.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	कनिष्ठ लिपिक
5.	अनुसंधान सहायक [आर.वी.आर.ई.एस.]	5000-8000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3200	अनुसंधान सहायक
6.	शीघ्र लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	5000-8000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3200	शीघ्र लिपिक
7.	पुस्तकालयाध्यक्ष [गैर अध्यापन] [आर.वी.आर.ई.एस.]	5000-8000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3200	पुस्तकालयाध्यक्ष

1	2	3	4	5
8.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
9.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	गवेषक
10.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	सर्वेक्षक
11.	प्रयोगशाला सहायक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	प्रयोगशाला सहायक
12.	प्रयोगशाला सेवक [लैब बॉय] [आर.वी.आर.ई.एस.]	2610-3540	4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	लैब बॉय
13.	बुक लिफ्टर [आर.वी.आर.ई.एस.]	2610-3540	4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	बुक लिफ्टर
14.	तबला वादक [आर.वी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	तबला वादक
15.	चतुर्थ श्रेणी [आर.वी.आर.ई.एस.]	2550-3200	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	चतुर्थ श्रेणी
16.	मैसमैन [आर.वी.आर.ई.एस.]	2950-4475	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	मैसमैन

ग्रुप-II माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-क अध्यापन पद

1.	प्राचार्य [आर.वी.आर.ई.एस.]	9000-14400	15600-39100 ग्रेड वेतन 6000	प्राचार्य
2.	प्रधानाध्यापक [आर.वी.आर.ई.एस.]	7500-12000	9300-34800 ग्रेड वेतन 4800	प्रधानाध्यापक
3.	प्राध्यापक [आर.वी.आर.ई.एस.]	6500-10600	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	प्राध्यापक
4.	वरिष्ठ अध्यापक [आर.वी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3600	अध्यापक ग्रेड-II
5.	अध्यापक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800	अध्यापक ग्रेड-III
6.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II [आर.वी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3200	पुस्तकालयाध्यक्ष-II
7.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III [आर.वी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800	पुस्तकालयाध्यक्ष

1	2	3	4	5
8.	शा.प्र.अनु. ग्रेड-II [आर.वी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3600	शा.प्र.अनु.-II
9.	शा.प्र.अनु. ग्रेड-III [आर.वी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800	शा.प्र.अनु.-III
10.	प्रयोगशाला सहायक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	प्रयोगशाला सहायक
11.	प्रयोगशाला सेवक [लैब बॉय] [आर.वी.आर.ई.एस.]	2610-3540	4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	प्रयोगशाला सेवक [लैब बॉय]
ग्रुप-II माध्यमिक शिक्षा अनुभाग ख-गैर अध्यापन पद				
1.	वरिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	वरिष्ठ लिपिक
2.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	कनिष्ठ लिपिक
3.	चतुर्थ श्रेणी [आर.वी.आर.ई.एस.]	2550-3200	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
4.	लेखाकार [आर.वी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3600	लेखाकार
5.	कार्यालय सहायक [आर.वी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3200	संगम सचिव
6.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	प्रोक्टर
7.	चतुर्थ श्रेणी [आर.वी.आर.ई.एस.]	2550-3200	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	वारसर
8.	चतुर्थ श्रेणी [आर.वी.आर.ई.एस.]	2550-3200	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	टाईन
9.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	मैस प्रबन्धक
10.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	प्रबन्धक
11.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	दुग्ध अभिलेखक
12.	चतुर्थ श्रेणी [आर.वी.आर.ई.एस.]	2550-3200	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	फोल्ड मैस

198 / राज. स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010

[अनुसूची]

1	2	3	4	5
13. चतुर्थ श्रेणी [आर.बी.आर.ई.एस.]	2550-3200	4750-7440	ग्रेड वेतन 1300	रसोईया
14. तबला वादक [आर.बी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200	ग्रेड वेतन 1900	तबला वादक
15. संगीतकार अध्यापक ग्रेड-III [आर.बी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200	ग्रेड वेतन 2800	संगीतकार
16. कनिष्ठ लिपिक [आर.बी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200	ग्रेड वेतन 1900	परिचारक [सहायक]
17. कनिष्ठ लिपिक [आर.बी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200	ग्रेड वेतन 1900	परिचारक [महिला सहायक]

ग्रुप-III प्राथमिक शिक्षा अनुभाग-क अध्यापन पद

1. प्रधानाध्यापक [आर.बी.आर.ई.एस.]	8000-13500	9300-34800	ग्रेड वेतन 4800	प्राचार्य
2. प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय [आर.बी.आर.ई.एस.]	7500-12000	9300-34800	ग्रेड वेतन 4800	प्रधानाध्यापक
3. प्राध्यापक [सम्बन्धित विषय] [आर.बी.आर.ई.एस.]	6500-10500	9300-34800	ग्रेड वेतन 4200	अध्यापक ग्रेड-I
4. वरिष्ठ अध्यापक [आर.बी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800	ग्रेड वेतन 3600	अध्यापक ग्रेड-II
5. अध्यापक [आर.बी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200	ग्रेड वेतन 2800	अध्यापक ग्रेड-III
6. श.प्र.अनु. ग्रेड-III [आर.बी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200	ग्रेड वेतन 2800	श.प्र.अनु.

ग्रुप-III प्राथमिक शिक्षा अनुभाग-ख गैर-अध्यापन पद

1. लेखाकार [आर.बी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800	ग्रेड वेतन 3600	लेखाकार
2. वरिष्ठ लिपिक [आर.बी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200	ग्रेड वेतन 2400	वरिष्ठ लिपिक
3. वरिष्ठ लिपिक [आर.बी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200	ग्रेड वेतन 2400	वार्डन
4. इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II	3400-5200	5200-20200	ग्रेड वेतन 1900	इलेक्ट्रिशियन

अनुसूची

[राज. स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 / 199]

1	2	3	4	5
5. चालक [आर.बी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200	ग्रेड वेतन 1900	चालक
6. कनिष्ठ लिपिक [आर.बी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200	ग्रेड वेतन 1900	पर्यवेक्षक
7. तबला वादक [आर.बी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200	ग्रेड वेतन 1900	तबला वादक
8. कनिष्ठ लिपिक [आर.बी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200	ग्रेड वेतन 1900	भण्डार पाल
9. कनिष्ठ लिपिक [आर.बी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200	ग्रेड वेतन 1900	कनिष्ठ लिपिक
10. चतुर्थ श्रेणी [आर.बी.आर.ई.एस.]	2550-3200	4750-7440	ग्रेड वेतन 1300	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

ग्रुप-IV संस्कृत शिक्षा अनुभाग-क अध्यापन पद

1. प्राचार्य आचार्य महाविद्यालय [आर.बी.आर.ई.एस.]	11300-16200	15600-39100	ग्रेड वेतन 7200	प्राचार्य आचार्य महाविद्यालय
2. प्रोफेसर आचार्य महाविद्यालय [आर.बी.आर.ई.एस.]	10000-15200	15600-39100	ग्रेड वेतन 6600	प्रोफेसर
3. प्राचार्य शास्त्री महाविद्यालय [आर.बी.आर.ई.एस.]	9000-14400	15600-39100	ग्रेड वेतन 6000	प्राचार्य शास्त्री महाविद्यालय
4. प्राध्यापक [आर.बी.आर.ई.एस.]	8000-13500	15600-39100	ग्रेड वेतन 5400	प्राध्यापक
5. प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय [आर.बी.आर.ई.एस.]	9000-14400	15600-39100	ग्रेड वेतन 6000	प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय
6. वरिष्ठ अध्यापक [आर.बी.आर.ई.एस.]	6500-10500	9300-34800	ग्रेड वेतन 4200	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-I
7. प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका [आर.बी.आर.ई.एस.]	6500-10500	9300-34800	ग्रेड वेतन 4200	प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका
8. अध्यापक ग्रेड-II [आर.बी.आर.ई.एस.]	6500-10500	9300-34800	ग्रेड वेतन 3600	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II
9. पुस्तकालयाध्यक्ष-II [आर.बी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800	ग्रेड वेतन 3600	पुस्तकालयाध्यक्ष-II
10. पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III [आर.बी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200	ग्रेड वेतन 2800	पुस्तकालयाध्यक्ष-III
11. श.प्र.अनु. ग्रेड-II [आर.बी.आर.ई.एस.]	5500-9000	9300-34800	ग्रेड वेतन 3600	श.प्र.अनु.-II

1	2	3	4	5
12.	शा.प्र.अनु. ग्रेड-III [आर.वी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800	शा.प्र.अनु.-III
13.	अध्यापक-III [आर.वी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800	अध्यापक-III [संस्कृत प्राथमिक]
14.	अध्यापक-III [आर.वी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800	अध्यापक-II [अपर प्राथमिक]
15.	अध्यापक-III [आर.वी.आर.ई.एस.]	4500-7000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2800	अध्यापक-III [सामान्य प्राथमिक]

ग्रुप-IV संस्कृत शिक्षा अनुभाग-ख गैर-अध्यापन पद

1.	वरिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	वरिष्ठ लिपिक
2.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	3050-4590	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	कनिष्ठ लिपिक
3.	चतुर्थ श्रेणी [आर.वी.आर.ई.एस.]	2550-3200	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	चतुर्थ श्रेणी

ग्रुप-V तकनीकी शिक्षा अनुभाग-क अध्यापन पद

1.	प्राध्यापक [आर.वी.आर.ई.एस.]	8000-13500	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	प्राध्यापक
2.	कनिष्ठ अनुदेशक [आर.वी.आर.ई.एस.]	5000-8000	9300-34800 ग्रेड वेतन 3200	अनुदेशक

ग्रुप-V तकनीकी शिक्षा अनुभाग-ख गैर-अध्यापन पद

1.	कनिष्ठ प्रारूपकार [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	प्रारूपकार
2.	सूचना सहायक [आर.वी.आर.ई.एस.]	4000-6000	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	सूचना सहायक
3.	तकनीशियन [आर.वी.आर.ई.एस.]	3200-4900	5200-20200 ग्रेड वेतन 2000	तकनीशियन
4.	कनिष्ठ लिपिक [आर.वी.आर.ई.एस.]	3050-4500	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	कनिष्ठ लिपिक
5.	प्रयोगशाला सेवक [लेब बॉय] [आर.वी.आर.ई.एस.]	2650-4000	4750-7440 ग्रेड वेतन 1400	प्रयोगशाला सहायक
6.	चतुर्थ श्रेणी [आर.वी.आर.ई.एस.]	2650-4000	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	सहायक चतुर्थ श्रेणी

टिप्पणी—ऊपर विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किये गये पदों पर कार्य नहीं करने वाले व्यक्ति समतुल्य पदों पर नियुक्त किये जायेंगे।

FORM-I (See Rule 4(1))**Application for appointment in the Rajasthan Voluntary Rural Education Service Rules, 2010**To,
The

..... (Name of Institution)

I, (name in full), son/daughter/wife of age (years) working on the post of desire to be considered for appointment in government service in accordance with the terms and conditions of the Rajasthan Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010. My particulars are as follows:

1. Date of Birth —————
2. Name of Institution (School/College) —————
3. Aided post held —————
4. Date of appointment on the aided post —————
5. Existing Pay and Pay Scale —————
6. Address —————
7. An undertaking under clause (xi) of Rule 5 of the Rajasthan Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010 is attached herewith.

My application may be forwarded, after verifying the above particulars, to the Appointing Authority as defined in clause (b) of Rule 2 of the Rajasthan Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010.

(Signature)

Name in full —————

Advance copy forwarded to the (Appointing Authority)

Verification by the Secretary of the Institution

I, (name in full), son/daughter/wife of working on the post of Secretary in (Name of Aided Institution) do hereby verify that :

- (i) That this application has been received in my office on (date).
- (ii) That the particulars mentioned above in this application are true and correct on the basis of the official record.

The following documents are being forwarded with this application:

- (i) Service Book
- (ii) Personal File
- (iii) Last Pay Certificate
- (iv) Undertaking under clause (xi) of Rule 5

(Signature)

(Name in Full)

Office Seal

Date : —————

Place : —————

FORM-II

**Undertaking under clause (xi) of Rule 5 of Rajasthan
Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010**

I, _____ (name in full), son/daughter/wife age (years) working on the post of in the (Name of Non-Government School/College), after having read and understood provisions of the Rajasthan Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010, hereinafter referred to as the rules, do hereby undertake and state as under:-

1. That the post on which I am presently working a sanctioned and aided post.
2. That I desire to be appointed in the government service in accordance with the terms and conditions mentioned in these rules. I declare that I shall abide the conditions of the said rules.
3. That I agree to be posted in the Schools/Colleges in the rural areas of the State of Rajasthan as define in the said rules.
4. That I shall not make any claim for any position till my superannuation.
5. That I agree to accept the salary which fixed in accordance with the provisions of clause (vi) Rule 5 of the said rules.
6. That I shall not make any claim for payment of arrears on any account whatsoever, including salary, selection grade, ACP or CAS for the period to my joining in the Government service under the rules.
7. That is shall not make any claim for carry forward of the balance of Privilege Leave or for payment of encashment of balance of Privilege Leave.
8. That I hereby opt to continue to be member of the Contributory Provident Fund/ Opt for the Raj. Civil Service (Contributory Pension) schemes 2005 in accordance with the provisions of clause (ix) of Rule 5 of the said rules. (Cross out whichever is not applicable)
9. That I shall not make any claim for payment of any Contributory Provident Fund contribution if not deposited by the Non-Government Grant-in-aid Education Institution for the period prior to the date of my joining in Government service.
10. That I Shall not make any claim for counting the period of service in the Non-government aided institution for payment of gratuity by the State Government.

(Signature)

Date _____

Place _____

(Name in full _____)

By order and in the name of the Governor Dy. Secretary to the Government.

□□□